न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 84/2011

1. महावीर प्रसाद आयु 52 वर्ष पिसरान श्री नाथूलाल ।
2. भुवनेश्वर आयु 45 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती दुर्गेश गौतम आयु 42 वर्ष पत्नी भुवनेश्वर पंचौली जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   2/2. कुमारी प्रतिक्षा आयु 20 वर्ष पुत्री भुवनेश्वर ।
   2/3. कुमारी सविता आयु 22 वर्ष पुत्री भुवनेश्वर ।
   2/4. कुमारी आयुशी आयु 18 वर्ष पुत्री भुवनेश्वर जातियान ब्राह्मण निवासीगण कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   2/5. अतिक्ष आयु 14 वर्ष आत्मज भुवनेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन अवयस्क जरिये संरक्षक माता अपीलान्ट क्रम 2/1 श्रीमती दुर्गेश गौतम पत्नी भुवनेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. नवनीत आयु 32 वर्ष आत्मज नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. श्रीमती कमला देवी आयु 72 वर्ष विधवा श्री नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी पंचौली मोहल्ला कापरेन वार्ड नं0 14 तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज श्री हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी बोहरा मोहल्ला कापरेन जिला बून्दी। मृतक नन्दलाल आत्मज रेवती लाल ब्राह्मण निवासी कापरेन कायममुकामान–कृष्णावतार आत्मज नन्दलाल ब्राह्मण निवासी, कापरेन (नाम विलोपित) ।
2. श्रीमती कृष्णा पंचौली विधवा श्री नरेन्द्र कुमार ब्राह्मण निवासी कोटा लाखेरी रोड भट्ट जी की बाडी कापरेन ।
3. अंकित पुत्र नरेन्द्र कुमार वयस्क ब्राह्मण निवासी कोटा लाखेरी रोड भट्ट जी की बाडी कापरेन जिला बून्दी ।
4. योगेश कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार वयस्क ब्राह्मण निवासी भट्ट जी की बाडी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. श्रीमती गायत्री पुत्री नाथूलाल पत्नी महावीर ब्राह्मण निवासी वार्ड नं0 14 कापरेन जिला बून्दी ।
6. श्रीमती बेवी पुत्री नाथूलाल जी पत्नी प्रेमशंकर जी ब्राह्मण निवासी कापरेन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   6/1. कुन्ज बिहारी आयु 29 वर्ष पुत्र प्रेमशंकर जी ।
   6/2. बीना आयु 27 वर्ष पुत्री प्रेमशंकर जी ।
   6/3. हितेश आुय 25 वर्ष पुत्र प्रेमशंकर जी ।
   6/4. भारती आयु 21 वर्ष पुत्री प्रेमशंकर जी ।
   6/5. प्रेमशंकर ब्राह्मण निवासी कापरेन जिला बून्दी ।

7. श्रीमती गुड्डी पुत्री नाथूलाल पत्नी राजेन्द्र जी ब्राह्मण निवासी 475 महावीर नगर द्वितीय, कोटा।
8. श्राधा पुत्री नाथूलाल वयस्क ब्राह्मण कापरेन हाल निवासी रायथल जिला बारां पत्नी गिरिराज वाया सीसवाली ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
10. राजस्थान राज्य जरिये कलक्टर साहब, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश जैन अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री केशव कुमार दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मृतक नन्दलाल रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर नया 2116 रकबा 2.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 2117 रकबा 0.51 हैक्अर, खसरा नम्बर 2118 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 2119 रकबा 0.77 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 4.61 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है और उक्त भूमि पर बतौर मु0बि0क0 लगभग 100 वर्षों से वादी के पूर्वजों का तथा वर्तमान में वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में वादी एवं उससे पूर्व वादी के पूर्वजों का 100 वर्षो से कब्जा हो जाने एवं प्रतिवादी क्रम 1 की जानकारी में लगातार 100 वर्षो से कब्जा चले आने से एवं रहन मुक्ति की मियाद निकल जाने के पश्चात् तथा 12 वर्ष से अधिक का कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी उक्त भूमि का खातेदार कृषक बन चुका है । वादी उक्त भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हटवाकर उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी कब्जा मुखालफाना के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम विलोपित करते हुए प्रतिवादी क्रम 2 से 8 का नाम बतौर मु0 बि0 क0 हटाया जाकर वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट एवं बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही जबरदस्ती ताकत के बल पर कब्जा करने का प्रयास करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2010 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 2, 7, 8 एवं मृतक भवनेश्वर जिनके कायममुकामान अपील में रिकॉर्ड पर हैं, ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 8 संयुक्त रूप से काबिज हैं एवं खातेदार बन चुके हैं इसके उपरान्त भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 5 से 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । अवयस्क पक्षकारों के वयस्क होने पर उनको नोटिस नहीं दिया गया है । वयस्क की हैसियत से दावा लडने का अवसर नहीं दिया है इस कारण भी उक्त निर्णय निस्तनीय है । उक्त भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 8 के पूर्वज श्री मगनलाल जी के पास गत 100 वर्षो से रहन बिल कब्ज थी उनके दोहन्त के पश्चात् उक्त भूमि पर उनके पुत्र भैरूलाल, रामकिशन एवं मदनलाल काबिज हुए । भैरूलाल जी के देहान्त के पश्चात् उनके 1/3 हिस्से की भूमि पर उनकी पत्नी काबिज हुई । उनकी पत्नी श्रीमती लाडकंवर बाई ने अपने अंतिम रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 23.02.1981 के द्वारा उनके 1/3 हिस्से की भूमि अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत कर दी । तब से ही अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रहन मियाद बाहर हो चुका है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 8 उक्त भूमि के कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त हिस्से अनुसार खातेदार बन चुके हैं एवं काबिज काश्त हैं । नाथू लाल जी के पुत्र अपीलान्ट भुवनेश्वर को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार था जिसके अभाव में वाद चलने योग्य नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्याायलय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई नोटिस अथवा सम्मन रजिस्टर्ड एडी अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुए थे । नियमानुसार कोई तामील भी नहीं हुई है । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.09.2011 को हल्का पटवारी द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट क्रम 2 को पक्षकार नहीं बनाया था । प्रार्थी नाथूलाल का पुत्र है तथा नाथूलाल के अन्य पुत्र महावीर व नवनीत तथा बेवा कमला बाई को पक्षकार नबाया था । प्रार्थी भुवनेश्वर उक्त दावे में आवश्यक पक्षकार था जिसके अभाव में वाद चलने योग्य नहीं था । प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में हित–निहित है तथा प्रार्थी का उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से हित प्रभावित हुए हैं । अतः प्रार्थी अपीलान्ट क्रम 2 भुवनेश्वर को अपीलान्ट की हैसियत से न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट कम 2 नाथूलाल का पुत्र है । नाथू लाल के अन्य पुत्र महावीर व नवनीत तथा बेवा कमला बाई को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाया गया था । प्रार्थी अपीलान्ट कम 2 प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट कम 2 भुवनेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा में प्रार्थी को अपीलान्ट की हैसियत से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संयुक्त रूप से काबिज हैं और खातेदार बन चुके हैं । इसके उपरान्त भी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 5 से 08 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । अवयस्क पक्षकारों के वयस्क होने पर उनको नोटिस नहीं दिया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 से 8 के पूर्वज मगन लाल के पास रहन बिल कब्ज थी । इसके उपरान्त उक्त भूमि पर उनके पुत्र भैरूलाल, रामकिशन एवं मदनलाल काबिज हुए । भैरूलाल के देहान्त के पश्चात् उनके 1/3 हिस्से पर उनकी पत्नी लाडकंवर काबिज हुई । लाडकंवर ने अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 23.02.1981 के द्वारा अपना 1/3 हिस्से की भूमि अपीलान्ट महावीर, भुवनेश्वर और नवनीत के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी । उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से पर अपीलान्ट कम 1 लगायत 3 काबिज हैं । रामकिशन का देहान्त हो चुका है उनके पुत्र मूलचन्द का भी देहान्त हो चुका है । मूलचन्द के पुत्र नाथू लाल का भी देहान्त हो गया है । उनके उत्तराधिकारी अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट कम 5 से 8 हैं जो वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से की भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे हैं । मदनलाल का उनके पुत्र धन्ना लाल का उनके पुत्र रेवतीलाल का व उनके पुत्र नन्दलाल का देहान्त हो चुका है । नन्दलाल जी के पुत्र कृष्णावतार व नरेन्द्र का देहान्त हो चुका है । कृष्णावतार लाऔलाद फौत हुआ है । नरेन्द्र के उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट कम 2 से 4 हैं जो वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज हैं । इस प्रकार मगनलाल के उत्तराधिकारी बराबर के हक से उक्त भूमि के खातेदार बन चुके हैं । इसके उपरान्त भी सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट कम 2 से 4 के खाते दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । रहन मियाद बाहर हो चुका है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 से 8 खातेदार बन चुके हैं । नाथू जी के पुत्र अपीलान्ट भुवनेश्वर को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार था जिसके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं था । वादग्रस्त आराजी का मगनलाल जी के उत्तराधिकारियों के मध्य कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है । इस कारण इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं हुई है । केवल अपीलान्ट के उपस्थित नहीं आने के आधार पर ही यह तथ्य सिद्ध मानकर त्रुटि की है । अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 5 से 8 की नियमानुसार तामील नहीं कराई है । सम्मन अथवा रजिस्टर्ड एडी इनको नहीं मिले हैं । अखबार में साया करवाकर अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया है । इस समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है । अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है । रहन पूर्वजों के समय से चली आ रही है । अवयस्क के वली यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं तो न्यायालय को उनके संरक्षक नियुक्त करने चाहिए थे ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2010 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 45, 111, एआईआर 1983 (एससी) पेज 75, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 2009 पेज 195, आरआरडी 2008 पेज 804, 842, आरएलआर 2002 (1) (एससी) पेज 92 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उक्त अपील विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई समुचित कारण नहीं बताए हैं । पटवारी हल्का का शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है जब तक विलम्ब का शमन नहीं हो अपील में सुनवाई नहीं की जा सकती । अपीलान्टगण को विधि सम्मत रूप से तामील करवायी गई है और उनके उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई थी । सिर्फ वसीयत होने के आधार पर अपीलान्ट का कोई क्लेम नहीं बनता है । जब तक कि वसीयत साक्ष्य अधिनियम अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित न हो । आदेश 05 नियम 14 सीपीसी के अनुसार जहॉ सम्पत्ति स्थित होती है वहीं तामील करवायी जाती है। जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है उनके लिए डिक्री बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखेगी वो दावा पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2010 बहाल रखा जावे।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । आरआरडी 2009 पेज 195, डीएनजे (राज0) पेज 20, आरआरडी 2008 पेज 805, आरएलआर 2002 (1) पेज 93 यहॉ चस्पा होती हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे । ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करना औचित्यपूर्ण है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संतव् 2056 से 2059 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 291 की कुल 04 किता की 4.61 हैक्टर भूमि राधेश्याम आत्मज हजारी लाल के खाते में दर्ज है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07 मार्च 2008 की फोटो प्रति, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के0 पाटन के न्यायालय में गोपीबाई जरिये कायममुकामान राधेश्याम के द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति, इसमें पेश किये गये जवाबदावे और निर्णय दिनांक 17.02.1994 की प्रमाणित प्रति, खसरा गिरदावरी संवत् 2007, संवत् 2002 की प्रमाणित प्रतियॉ, गोपी बाई के द्वारा की गई वसीयत की प्रमाणित प्रति, नकल खाता संख्या 51 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श– 2 पेश किये हैं । इसके अलावा सिंचाई विभाग की रसीदात प्रदर्श– ए–2 लगायत ए–6, पर्ची चम्बल परियोजना सब डिविजन प्रदर्श–ए–7, मिलान क्षेत्रफल ए–12 पेश किये हैं ।

14. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 से 10 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । अपीलान्ट क्रम 1 से 4 अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 2, 7 और 8 थे और मुवनेश्वर जो कि नाथू का पुत्र है उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.04.2001 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 2, 4, 7, 8, 9 की तामील होना अंकित करते हुए उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । इस क्रम में पत्रावली में उनको प्रेषित नोटिस का अवलोकन किया । अपीलान्ट क्रम 3 नवनीत के सम्मन में उसको नाबालिग बताया और तामील संरक्षक माता कमला देवी के माध्यम से करवाई गई है । इस तामील में जो प्राप्ति हस्ताक्षर हैं कमला देवी के प्रतीत नहीं होते हैं । तामील पर गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं हैं और न ही यह अंकित किया गया है कि यह तामील किनको करवाई गई है । इस प्रकार अपीलान्ट क्रम 1 के सम्मन के पृष्ठ भाग पर भी प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर हैं वो महावीर के प्रतीत नहीं हो रहे हैं । नवनीत के सम्मन में जिनके हस्ताक्षर हैं ये भी उन्हीं के प्रतीत होते हैं । तामिल कुनिन्दा ने यह अंकित नहीं किया है कि तामील किनको करवाई गई है, उनका प्रतिवादी से क्या सम्बन्ध है और न ही गवाहों के हस्ताक्षर करवाए गये हैं । कमला देवी अपीलान्ट क्रम 4 के सम्मन के पृष्ठभाग पर भी उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जिनके महावीर एवं नवनीत के सम्मन पर हस्ताक्षर हैं परन्तु यह अंकित नहीं है कि ये हस्ताक्षर किनके हैं और उनका प्रतिवादी कमला देवी से क्या सम्बन्ध हैं । गवाहों के हस्ताक्षर भी नहीं करवाए गये हैं ।

15. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जब प्रतिवादी नवनीत को नाबालिग बताया है और सम्मन उनको जरिये संरक्षक माता कमला देवी के जरिये भेजा गया है तो ऐसी स्थिति में तामील विधि सम्मत होने पर भी अगर उनकी ओर से उनके संरक्षक उपस्थित नहीं हुए हैं तो न्यायालय का यह उत्तरदायित्व था कि उनके वली नियुक्त करते । उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही नहीं की जा सकती । यहॉ यह भी उल्लेखनीय हैं कि भुवनेश्वर जो कि नाथूलाल के पुत्र होने के नाते प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार एवं आवश्यक पक्षकार है उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । अपीलान्टगण ने अपील में एक वसीयत की फोटो प्रति भी पेश की है और उनका यह भी कथन है कि उनके पक्ष में लाडकंवर ने यह वसीयत निष्पादित की है । वसीयत के आधार पर उनके स्वत्व का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित करने के उपरान्त ही तय होगें । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

16. अपीलान्टगण क्रम 01 और 04 की तामील अधीनस्थ द्वारा द्वारा विधि सम्मत रूप से नहीं करवाई गई है । अपीलान्ट क्रम 3 नाबालिग होने के नाते उनके संरक्षक के उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय को संरक्षक नियुक्त करना चाहिए था जो नहीं किया गया है । अपीलान्ट क्रम 2 भुवनेश्वर को हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया ।

17. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2010 निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टगण और शेष प्रतिवादीगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए उनके जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा